|  |
| --- |
| **कार्यालय तहसीलदार ................... तहसील ........................ जिला............... म0प्र0**  क्रमांक **......** /तह0/2025 **सूचना पत्र** ................ दिनांक /03/2025  प्रति,  ..................................................  ..................................................  **विषय:- आधार/समग्र से खसरे की लिंकिंग करने के लिए ekyc कराने एवं फार्मर रजिस्‍ट्री (किसान आईडी बनवाने) बावद़।**  **--00—**  आपको सूचित किया जाता है कि आपके नाम से ग्राम **..................** रा0नि0म0 ............ में खसरा नंबर/प्‍लाट नंबर/खाता नंबर **..............................** स्थित है जिसमें आपके द्वारा अभी तक **आधार/समग्र से खसरे की लिंकिंग करने के लिए ekyc एवं फार्मर रजिस्‍ट्री (किसान आईडी)** नहीं करवाया गया है। शासन द्वारा चलाई जा रही समस्‍त योजना का लाभ लेने के लिए **आधार/समग्र से खसरे की लिंकिंग करने के लिए ekyc एवं फार्मर रजिस्‍ट्री (किसान आईडी)** जरूरी है। आपके द्वारा **e-kyc एवं फार्मर रजिस्‍ट्री (किसान आईडी)** खसरे से आधार लिंक न कराने के कारण शासन द्वारा चलाई जा रही समस्‍त योजना के लाभ से आप वंचित हो सकते हैं।  अत: आप दो दिवस के भीतर अपने नजदीकी **CSC सेंटर/ ऑनलाईन दुकान/ लोकल युथ/ ग्राम कोटवार** के पास अपने साथ **समग्र आई. डी., आधार कार्ड, चालू मोबाईल नम्बर, खसरा/खेतानी/बही की नकल** साथ में ले जाकर **ekyc** कराये तथा हल्‍का पटवारी को सूचित करें। **आपके द्वारा e-kyc एवं फार्मर रजिस्‍ट्री (किसान आईडी) नहीं कराने की स्थिति में** शासन द्वारा चलाई जा रही समस्‍त योजना(पीएम किसान सम्‍मान निधि, मुख्‍यमंत्री सम्‍मान निधि और समस्‍त योजना) के लाभ से आप वंचित हो सकते हैं। जिसके लिए आप स्‍वयं जिम्‍मेदार होंगे।  तहसीलदार  तहसील ................ |
| **कार्यालय तहसीलदार ................... तहसील ........................ जिला............... म0प्र0**  क्रमांक **......** /तह0/2025 **सूचना पत्र** ..................... दिनांक /03/2025  प्रति,  ..................................................  ..................................................  **विषय:- आधार/समग्र से खसरे की लिंकिंग करने के लिए ekyc कराने एवं फार्मर रजिस्‍ट्री (किसान आईडी बनवाने) बावद़।**  **--00—**  आपको सूचित किया जाता है कि आपके नाम से ग्राम **..................** रा0नि0म0 ............ में खसरा नंबर/प्‍लाट नंबर/खाता नंबर **..............................** स्थित है जिसमें आपके द्वारा अभी तक **आधार/समग्र से खसरे की लिंकिंग करने के लिए ekyc एवं फार्मर रजिस्‍ट्री (किसान आईडी)** नहीं करवाया गया है। शासन द्वारा चलाई जा रही समस्‍त योजना का लाभ लेने के लिए **आधार/समग्र से खसरे की लिंकिंग करने के लिए ekyc एवं फार्मर रजिस्‍ट्री (किसान आईडी)** जरूरी है। आपके द्वारा **e-kyc एवं फार्मर रजिस्‍ट्री (किसान आईडी)** खसरे से आधार लिंक न कराने के कारण शासन द्वारा चलाई जा रही समस्‍त योजना के लाभ से आप वंचित हो सकते हैं।  अत: आप दो दिवस के भीतर अपने नजदीकी **CSC सेंटर/ ऑनलाईन दुकान/ लोकल युथ/ ग्राम कोटवार** के पास अपने साथ **समग्र आई. डी., आधार कार्ड, चालू मोबाईल नम्बर, खसरा/खेतानी/बही की नकल** साथ में ले जाकर **ekyc** कराये तथा हल्‍का पटवारी को सूचित करें। **आपके द्वारा e-kyc एवं फार्मर रजिस्‍ट्री (किसान आईडी) नहीं कराने की स्थिति में** शासन द्वारा चलाई जा रही समस्‍त योजना(पीएम किसान सम्‍मान निधि, मुख्‍यमंत्री सम्‍मान निधि और समस्‍त योजना) के लाभ से आप वंचित हो सकते हैं। जिसके लिए आप स्‍वयं जिम्‍मेदार होंगे।  तहसीलदार  तहसील ................ |